# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 51/2007

1. मिलाप चंद मिश्रीलाल
3. अनिल कुमार पुत्र बालचंद
   जाति जैन निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत कैलाई तहसील सिकराय जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत कैलाई तहसील सिकराय
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई नेशनल हाईवे नंबर 11, 156 गिरनार कालोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर जयपुर।

...अप्रार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रार्थना पत्र वास्ते दिलाने मुआवजा अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से

दिनांकः 02.12.2020

## निर्णय

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि वाके ग्राम बासडा तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नं0 4/1 रकबा 14 बिस्वा को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 1.2.1983 को विनोद बिहार शर्मा पुत्र श्री राधावल्लभ शर्मा निवासी दौसा से जरिये रजिस्ट्री प्रार्थी व प्रार्थीगण के परिवार के महावीर प्रसाद, चन्दर कुमार, शिखरचंद, कांता देवी, विनोदीलाल, महेन्द कुमार, बालचंद, उत्तमचंद, भागचंद ने खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। खरीद के वक्त से उक्त खरीद शुदा भूमि पर मौके पर प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काबिज है व अधिकांश भाग पर पुख्ता निर्माण कर रखा है एवं दुकानों में व्यापार करते हैं एवं आज भी व्यापार कर रहे है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिजन की खरीदशुदा कब्जे की भूमि में से प्रार्थी ने जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 15.6.1983 के द्वारा उक्त खसरा नंबर 4/1 में से 7 बिस्वा भूमि आबादी में कन्वर्ट करायी। उक्त भूमि को आबादी में कन्वर्ट कराने के बाद उक्त भूमि में से प्रार्थीगण ने पूर्व पश्चिम 36 फीट 3 इंच, उत्तर दक्षिण 20 फीट 3 इंच का पटटा दिनांक 25.12.1983 को ग्राम पंचायत कैलाई से विधिवत प्राप्त किया और पुख्ता निर्माण कार्य किया व कुछ भूमि के पटटे भी प्रार्थी के परिवार के अन्य लोगों के नाम जारी किये गये। व शेष भूमि पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण का परिवार काबिज है। उक्त आबादी में कन्वर्ट कर प्रार्थीगण को पट्टे पर दी गई भूमि की जमाबंदी में 4/1/3 कर दिया जबकि नक्शे में कोई तरमीम नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार की खरीदशुदा दुकानों की भूमि को व दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के लिए अवाप्त करने हेतु विज्ञप्ति निकाली जिसमें उक्त

प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व की आबादी भूमि व निर्माण का खसरा नंबर 4/1/3 कर दिया जिसकी नक्शे में 4/1/3 कोई नंबर नही है। इसलिए प्रार्थीगण आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सके। अप्रार्थी नंबर 1 ने उक्त प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार के कब्जे व स्वामित्व की आबादी भूमि एवं निर्मित दुकानात को अप्रार्थी संख्या 2 की बताकर और अवार्ड उक्त भूमि का अप्रार्थी नं0 2 के नाम जारी कर दिया। उक्त अवार्ड की राशि अप्रार्थी नं0 2 के यहॉ प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि में से अवाप्त की गई भूमि में से प्रार्थीगण की पट्टे शुदा भूमि व इसमे निर्मित दुकान का मुआवजा प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त अवाप्त की गई भूमि व निर्माण का मुआवजा अप्रार्थी सं0 2 ग्राम पंचायत कैलाई को नहीं दिया जाकर प्रार्थीगण को दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि खसरा नंबर 4/1/3 में से अवाप्त की गई भूमि प्रार्थीगण की है व उक्त भूमि में प्रार्थीगण की दुकानें बनी हुई है और उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। उक्त भूमि का प्रार्थीगण के पास पट्टा है इसलिए उक्त भूमि में उक्त भूमि एवं भूमि में बनी हुई दुकानात का मुआवजा अप्रार्थी नंबर 2 के स्थान पर प्रार्थीगण को किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि सक्षम अधिकारी को धारा 3 सी के तहत कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के 21 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाकर आपत्ति को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा। प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। सक्षम अधिकारी ने माना कि उक्त आरजीयात के संबंध में जिलाधीश महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 15.6.1983 से उक्त आराजी बारानी से आबादी में परिवर्तित हो चुकी है। सक्षम अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी संख्या 4/1/3 किस्म आबादी का अवाप्तशुदा रकबा 140 वर्गमीटर की मुआवजा हितबद्ध पक्षकार मिलापचंद जैन की 60 वर्गमीटर भूमि की निर्धारित डी0एल0सी0 दर 3228/–रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा राशि 1,93,680/–रूपये व निर्मित संरचना मूल्य 24988/–रूपये, 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार राशि 21,866/–रूपये कुल मुआवजा राशि 2,40,534/–रूपये निर्धारित की गई। इसी प्रकार हितबद्ध पक्षकार शिखरचंद जैन की 80 वर्गमीटर भूमि की निर्धारित डी0एल0सी0 दर 3228/–रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा राशि 258240/–रूपये व निर्मित संरचना मूल्य 208527/–रूपये, 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार राशि 46677 /–रूपये कुल मुआवजा राशि 513444/–रूपये निर्धारित की गई। जिसका भुगतान मिन उत्तरदाता द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष हितबद्ध व्यक्तियों के नाम जमा करवा दिया गया है। प्रार्थीगण अब गलत आधारों पर मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में संलग्न भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिकराय की बिन्दुवार जांच रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नंबर 4/1/3 की आबादी भूमि में से कुल 140 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी जिसमे 60 वर्ग मीटर भूमि मिलापचंद जैन की अवाप्त की गई थी, जिसका मुआवजा राशि 240534/–रूपये आवासीय दर से निर्धारण किया गया था। उक्त खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नबर से 80 वर्गमीटर भूमि शिखरचंद जैन की अवाप्त की गई थी। जिसका मुआवजा नियमानुसार 513444/–रूपये आवासीय दर से निर्धारण किया गया था। तत्समय राजस्व रिकार्ड अनुसार ही मुआवजा निर्धारण किया गया है। अतः प्रकरण खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे ग्राम बासडा तहसील सिकराय में अवाप्ताधीन भूमि खसरा नं0 4/1/3 के रकबा 07 बिस्वा में से 140 वर्गमीटर भूमि में से केवल 60 वर्गमीटर भूमि के वास्तविक हितबद्ध व्यक्ति को आवासीय दर से मुआवजा सक्षम अधिकारी द्वारा सही निर्धारित किया गया है। आर्बिट्रेशन के तहत स्वामित्व का निर्धारण किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी संख्या दो की कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official